उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-24/2017/पी-320/अड़तीस-9-17-06(बजट)/17

लखनऊ : दिनांक-15 मई, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन</u>

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक फण्ड मद में भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 10,31,00,000.00 तथा उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 6,87,,33,000.00 अर्थात् कुल रू0 17,18,33,000.00 की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान से अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-23/2017/पी-253/अड़तीस-9-2017-06(बजट)/2017, दिनांक-09.05.2017 के प्रस्तर-2 में लेखा शीर्षक **-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य"** अंकित है।

2- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक-09.05.2017 के प्रस्तर-2 में अंकित उक्त लेखा शीर्षक के स्थान पर लेखा शीर्षक-"**5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य"** पढा जाय।

3- उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या-23/2017/पी-253/अड़तीस-9-2017-06(बजट)/2017, दिनांक-09.05.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश दिनांक-09 मई, 2017 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-24/ 2017/पी-320 (1)/अड़तीस-9-2017, तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- श्री प्रिय रंजन, निदेशक (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं0-369, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-462/20/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2017, दिनांक-12.05.2017 के संदर्भ में।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/7/गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in